फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री दुर्गाशंकर | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 25/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 27.12.2022

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर सीगे से तलब की गई। तहसीलदार मावली से जवाब प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब को ही बहस माना जाने का निवेदन कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम किशन पिता गमेरा बलाई/भांभी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर पिता गमेरा सालवी अंकित है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर पिता गमेरा सालवी होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर किशन पिता गमेरा बलाई/भांभी व दुर्गाशंकर पिता गमेरा सालवी एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरियाखेडी की आराजी नम्बर 570, 571, 833, 834, 835, 837, 836 भूमि में खातेदार किशन पिता गमेरा बलाई/भांभी के बजाय किशन उर्फ दुर्गाशंकर पिता गमेरा सालवी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 13:00:10 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली